

कार्यालय तहसीलदार (भू.अ.) चित्तौडगढ जिला चित्तौडगढ राज.

क्रमांक-भू.अ./20 /

दिनांक- / / 20

प्रेषित

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय  
चित्तौडगढ

महोदय,

निवेदन है कि प्रार्थी/प्रार्थीयान श्री मोहनीबाई पाखरे स्य. उदा रोलाहेडा प.ह. रोलाहेडा के राजस्व ग्राम रोलाहेडा में जमाबन्दी संवत् 2078-2081 की खाता संख्या 19,289 में जाति/नाम दर्ज है। रिपोर्ट पटवारी व भू.अ.नि. ने सम्मानजनक जाति/नाम स्य. उदयराज किये जाने की रिपोर्ट की है। सम्मानजनक जाति/नाम स्य. उदयराज का अंकन राजस्व रिकार्ड में किया जाना उचित है। दोनों जातियां (पूर्व एवं वर्तमान संशोधन से संबंधित जाति) अनुसूचित जाति श्रेणी के ही अन्तर्गत आती है/दोनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं। जाति संशोधन की स्थिति में राज. काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 42 (बी) का उल्लंघन भी नहीं होता है। अतः संशोधन किया जाना उचित है।

तहसीलदार चित्तौडगढ

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी चित्तौडगढ जिला चित्तौडगढ राज.

क्रमांक-सीडर/2015/858

दिनांक-17/10/2015

निमित्त

पटवार हल्का रोलाहेडा

विषय:-सम्मानजनक जाति/नाम दर्ज करने कावत।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत एल.आर.एक्ट 1956 की धारा 136

प्रार्थना-पत्र प्रार्थी/प्रार्थीयान के अनुसार श्री मोहनीबाई पाखरे स्य. उदा राजस्व ग्राम रोलाहेडा प.ह. रोलाहेडा की खाता संख्या 2078-2081 जाति/नाम स्य. उदा दर्ज है। जिसे सम्मानजनक जाति/नाम स्य. उदयराज के रूप में रिपोर्ट पटवारी व भू.अ.नि. द्वारा की गई है। तहसीलदार चित्तौडगढ द्वारा भी जाति/नाम स्य. उदयराज सम्मानजनक जाति/नाम के रूप में अनुशांषा प्राप्त हुई है।

अतः प्रार्थी/प्रार्थीयान श्री मोहनीबाई पाखरे स्य. उदा जाति/नाम स्य. उदयराज एल.आर. एक्ट 1956 की धारा 136 के तहत संशोधित करने की रकीकृत एतद् द्वारा दी जाती है। प.ह. राजस्व रिपोर्ट उपरोक्तानुसार अमल की पालना पेश करे।

उपखण्ड अधिकारी

चित्तौडगढ

चित्तौडगढ

प्रतिलिपि:-तहसीलदार चित्तौडगढ पालना सुनिश्चित करे।

उपखण्ड अधिकारी

चित्तौडगढ

चित्तौडगढ